



## नगर निगम सोनीपत

### सार्वजनिक सुचना

नगर निगम सोनीपत की सीमा मे स्थित सभी संपत्ति धारको को सूचित किया जाता है कि हमारे द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स के नोटिस वितरण कराए गए है जिसमे हरियाणा सरकार कि दिनांक 18th August 2020 कि अधिसूचना के अनुसार जो छूट प्रॉपर्टी धारको को दी गई है उनके अनुसार नोटिस भेजा गया है और 31October 2020 तक जो छूट दी गई है उसका फायदा उठा सकते है। जिन भी प्रॉपर्टी धारको को नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है या जिनका कोई भी खाली प्लाट है जिस पर प्रॉपर्टी टैक्स नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है वह स्वयं नगर निगम की वेबसाइट पर जाकर अपना नोटिस प्राप्त कर सकते है तथा ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते है। जो भी प्रॉपर्टी धारक 31st Oct 2020 तक अपना टैक्स जमा नहीं करवाते है उन्हें न ही छूट का लाभ मिलेगा तथा ब्याज देना होगा और उनके खिलाफ उचित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी |

आपको सूचित किया जाता है कि अपनी पेमेंट आप ऑनलाइन जमा करवाए परन्तु आप से अनुरोध है कि सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के खाता संख्या 1137021916 मे जमा नहीं करवाए, क्योकि नगर निगम द्वारा दिनांक 29/10/2020 से यह खाता बंद करवा दिया गया है अतः इस खाते में पेमेंट नहीं करवाए ताकि आप लोगो को किसी भी तरह कि परेशानी न हो सके।

**Website for online payment- <http://mcsonepat.gov.in/>**

कृते जोनल टैक्स अफसर  
नगर निगम सोनीपत